न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
115 / 22	136 LR Act	हरिपुरा	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
किशनलाल	बनाम	राजस्थान सरकार

वकील :–	श्री हेमराज बैरवा एड0	आदेश पत्रक	वकीलः–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
23.06.2022	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.08.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
4-8-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलवाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10-10-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10-10-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलवाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 1-12-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
1-12-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलवाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24-1-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24-1-23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलवाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 17-3-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17-3-23	पीठासीन अधिकारी के छुट्टी की हड़ताल में रहने से पूर्ववत दिनांक 15-5-23 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
15-5-23	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त रहने से पूर्ववत दिनांक 26-6-23 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां

उनवान

किशनलाल बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या 115/22

दायरा तिथि :– 23.06.2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबंर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। नक्शा दुरूस्ती के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नही किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नही किया जा सकता है। इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा। निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (बनवारी लाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां उपखण्ड अधिकारी बारॉं	